Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142–2018/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 27 अगस्त, 2018
(5 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ०55/के०अ०14/1981/धा०54/2018, दिनांक 27 अगस्त, 2018– हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन नियम, 2018.	613—614
	2. अधिसूचना संख्या का०आ०56/के०अ०6/1974/धा०64/2018, दिनांक 27 अगस्त, 2018– हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन नियम, 2018.	615—616
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अगस्त, 2018

संख्या का०आ०55/के०अ०14/1981/धा०54/2018.– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. ये नियम हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 में, नियम 15 में, उप–नियम (2) में, मद क VIII के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएंगी, अर्थातः–

''क IX (i)	हरियाणा बायो –ऊर्जा नीति, 2018 के अधीन आने वाली परियोजनाओं/ इकाईयों की स्थापना के लिए सहमति फीस	शून्य;
(ii)	हरियाणा बायो –ऊर्जा नीति, 2018 के अधीन आने वाली परियोजनाओं/ इकाईयों के सचांलन के लिए प्रथम वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए प्रभारित की जाने वाली सहमति फीस	शून्य। '';

देवेन्द्र सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।